सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 23, बुधवार, शाके 1944-सितम्बर 14, 2022

Bhadra 23, Wednesday , Saka 1944- September 14, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 1, 2022

संख्या: 18/भू.अ./ज.स./2017/1965-1969:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आकोली लघु सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण कार्य के लिए भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सूनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, जालोर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जालोर सबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियंता नहर की परियोजना सिंचाई लघु आकोली अंतर्गत के जालोर खंड संसाधन जल , और प्रतिकर उचित में पुनर्व्यवस्थापन ,पुनर्वासन ,अर्जन भूमि वाली जाने की अवाप्त हेतु कार्य निर्माण 4 राधा की 2013 अधिनियम अधिकार का पारदर्शिता(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव |

क्र. सं.	कार्य का नाम	जिला का नाम	तहसील	उपखंड अधिकारी / भूमि अवाप्त अधिकारी
1.	आकोली लघु सिंचाई परियोजना का नहर निर्माण कार्य	जालोर	जालोर	जालोर

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्टबी-

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जालोर
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	नाबार्ड के अंतर्गत आकोली लघु सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण कार्य ग्राम आकोली तहसील जालोर जिला जालोर के निर्माण कार्य हेतू 5.684 हेक्टर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाईसुनवाईयां भी दें।/	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और या भू -स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा-2 (1) के अंतर्गत लागु नहीं है
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड.)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जालोर में उपलब्ध

कृष्ण मोहन जायसवाल,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।